तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एलआर / 5251 / 2006 / बून्दी मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता, सरकार

...

निर्णय

दिनांकः– 13–03–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम'1956) की धारा 76 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–4–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का भवानीपुरा ने नायब तहसीलदार हिण्डौली के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि सम्वत 2061 फसल रबी में अपीलार्थी ने राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है। उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार हिण्डौली ने अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत प्रकरण संख्या 129/2005 संस्थित करते हुए निर्णय दिनांक 27–6–2005 द्वारा प्रार्थी को बेदखली, शास्ति वार्षिक लगान 26–00 रूपये का 50 गुणा तावान 1300/– रूपये तथा एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील पेश की गई। उक्त अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22–4–2006 द्वारा खारिज कर दी। राजस्व अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एलआर / 5251 / 2006 / बून्दी मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील के संबंध में सुनी। प्रार्थी ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध न्याय, नियम व कानून हैं। उनका कहना है कि मामले में अपीलार्थी के विवादित आराजी के कब्जे बाबत मनगंढत रिपार्ट तैयार की है, जबकि अपीलार्थी का आलोच्य भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने आराजी पर काफी मात्रा में धनराशि व्यय करके इसे कृषि हेंतु योग्य बनाया है। उनका तर्क है कि पटवारी रिपोर्ट एक स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है तथा मामले में पटवारी को तलब नहीं किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी अनपढ, ग्रामीण परिवेश का निर्धन काश्तकार है, जिसे कानून की सम्यक जानकारी नहीं है तथा विवादित आराजी के अतिरिक्त उसके जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्त्रोत उपलब्ध नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-4-2006 तथा नायब तहसीलदार हिण्डौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-6-2005 को निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एलआर / 5251 / 2006 / बून्दी मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा विधि सम्मत है। उक्त पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने बाबत अपीलार्थी ने किसी प्रकार के ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किए है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का स्पष्ट रूप से दोषी पाये जाने की स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित किए हैं। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रवृत्ति रही है कि वह लगातार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करता आ रहा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों ने राजकीय भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है तथा अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु नियमानुसार निर्णय पारित किए है, जो कि यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखने की प्रार्थना की है। हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उपलब्ध रेकार्ड व अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। उपलब्ध रेकार्ड से यह तथ्य तो निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। हमनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित हुआ है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है लेकिन अपीलार्थी ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है और भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने की अण्डर–टैकिंग दिये जाने के लिए कहा है। इसलिये न्याय–हित में यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एलआर / 5251 / 2006 / बून्दी मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को दी गई सिविल–कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि में संबंधित नायब तहसीलदार, हिण्डौली के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवें कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा कतई हटा लिया गया है और यह अण्डर–टैकिंग भी प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार, हिण्डौली उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि अपीलार्थी द्वारा ऐसा करने में कोई चूक की जाती है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत् रहेंगें।

उपरोक्तानुसार हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में अपीलार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अधिरोपित की गई शास्ति एवं बेदखली संबंधी आदेश को यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एलआर / 5251 / 2006 / बून्दी मोहन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए